कार्यालय कलेक्टर,(लोक सेवा प्रबंधन विभाग)नरसिंहपुर

Email ID:- loksevanarsinghpur@gmail.com

क्रमांक / 1096 / लो.से.प्र. / 2017 **नरसिंहपुर, दिनांक 28/01/20117**

प्रति,

चीफ ऑपरेटिंग आफीसर,
एम0पी0 ऑनलाईन लिमिटेड,
भोपाल

विषय– कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर भर्ती के आवेदन एम0पी0 ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से लिये जाने के संबंध मे।

..00..

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रमुख सचिव राजस्व विभाग भोपाल के आदेश कं एफ–2–10/2012/सात 4–अ भोपाल दिनांक 11 सितम्बर 2014 के परिपालन में तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों एंव कलेक्टर कार्यालय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के कार्य हेतु संविदा आधार पर **01–01 कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आरपेटर के पद** पर 10000/– (रू दस हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से नियुक्ति की जाना है। विज्ञापन की एक प्रति मय आवेदन प्रारूप विज्ञप्ति सूचना के साथ आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

कृपया एम0पी0 ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। आवेदन दिनांक 25/2/17..........तक प्राप्त किये जा सकेगें। तदोपरांत प्राप्त आवेदनों में से स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट सूची बनाकर कार्यालय को उपलब्ध करावें। उक्त कार्य हेतु एम0पी0 ऑनलाईन लिमिटेड को निर्धारित पोर्टल शुल्क रू.100/–प्रति अभ्यर्थी लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

कलेक्टर
जिला– नरसिंहपुर

पृ.क्रमांक / 1097 / लो.से.प्र. / 2017 **नरसिंहपुर, दिनांक 28/01/2017**

प्रतिलिपि–

1. जनसंपर्क अधिकारी, जिला नरंसिंहपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला नरसिंहपुर की ओर विज्ञापन जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कलेक्टर
जिला– नरसिंहपुर

28/1/17

कार्यालय कलेक्टर नरसिंहपुर

..विज्ञाप्ति..

कंमाक 1098/वि.लि.–1/2017 नरसिंहपुर दिनांक 28/01/2017

प्रमुख सचिव राजस्व विभाग भोपाल के आदेश कं एफ–2–10/2012/सात/4–अ भोपाल दिनांक 11 सितबंर 2014 के परिपालन में तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों एंव कलेक्टर कार्यालय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के कार्य हेतु संविदा आधार पर 01–01 कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर के पद पर 10000/– प्रतिमाह की दर से नियोजन हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने बाबत विज्ञप्ति प्रसारित है–

कं	संविदा पद का नाम	मानदेय राशि प्रतिमाह	स्वीकृत पद संख्या
	कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आरपेटर	10,000/–	10

आरक्षण तालिका :–

कं	पदनाम	कुल पद संख्या	पदों का वर्गीकरण							
			सामान्य		अ.जा.		अ.ज.जा		अ. पि.वर्ग	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
	कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर	10	04	02	02	0	01	0	01	0

2.1 तालिका में दर्शित स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 25/2/17 तक ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत www.mponline.gov.in पर पोर्टल शुल्क रू 100/– प्रति अभ्यर्थी निर्धारित है।

2.2 संविदा अवधि 01 वर्ष की होगी। नियुक्त व्यक्ति का वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने की दशा में एक–एक वर्ष की सेवा वृद्धि की जा सकेगी।

3– अर्हताऍं:–

3.1 यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से विज्ञान में स्नातक, कम्प्यूटर संचालन में दक्षता एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर (न्यूनतम एक वर्षीय) तथा

3.2 कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी) में दोनों सेक्शन में **Qualified** होना अनिवार्य है।

4. पात्रता :–

4.1 उम्मीदवार म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिये।

4.2 नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछडा वर्ग एंव निःशक्तजन/महिलाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 05 वर्ष की छूट नियत है।

4.3 आयु 01.01.2017 को न्यूनतम 21 वर्ष एंव म.प्र. शासन के समान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/सी–3–11/12/1/3 भोपाल दिनांक 03/11/2012 एवं पत्र कं सी–11/2012/3/एक भोपाल दिनांक 20.11.2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है:–

1	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरूष आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3	पुरूष आवेदक (अनुसूचित–जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग– शासकीय/ निगम/ मंडल/ स्वाशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा)	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष

5. नियुक्ति की प्रक्रिया :–

5.1 आवेदक द्वारा दी गई संपूर्ण अर्हता अनुसार विज्ञान समूह में स्नातक उपाधि के प्राप्त मार्क की मेरिट सूची के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक नरसिंहपुर जिले की वेबसाइट www.narsinghpur.nic.in एंव mponline portal पर भी समस्त जानकारी देख सकते हैं।

5.2 उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा किया जावेगा। कलेक्टर नरसिंहपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

5.3 सभी विवादों का न्यायायिक क्षेत्र नरसिंहपुर रहेगा।

5.4 स्नातक की मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्याथियों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही चयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी।

6. नियुक्ति की शर्तें–

6.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।

6.2 नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) का फिटनेस चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिन की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

6.3 नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवायें निर्धारित अवधि के एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगीं। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होगें।

6.4 नियुक्त संविदा कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रामिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

6.5 नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति/निर्देश के कार्यालय से संबंधित कोई सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/विभाग या किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपानीयता भंग नहीं करेगा।

6.6 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तोर पर किसी भी प्रकार के व्यापार /व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगाां।

6.7 नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश में कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के पालन हेतु बाध्य होगा।

6.8 नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन/कलेक्टर द्वारा समय–समय पर सौपें गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होगें।

6.9 नियुक्ति पत्र में दर्शायी गई तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति पत्र नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

6.10 नियुक्त संविदा कर्मचारी को आधारभूत एंव उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षणों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

6.11 नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल रदद कर दी जावेगी।

6.12 नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक गतिविधि में संलग्न होने पर पर नियुक्ति प्राधिकारी उसकी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।

6.13 नियुक्त संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

7. प्रतीक्षा –

चयनित उम्मीदवारों से प्रत्येक के लिए कम से कम दो उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी।

8. प्रतीक्षा सूची की वैधता –

प्रतीक्षा सूची की वैधता सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी।